



पत्रांक: यूओपी/कुस/2026/598



18 मई 2026

### कार्यालय आदेश (संशोधित)

**विषय :UGC विनियमों अधिसूचना/, 2023 के अनुसार छात्र शिकायत निवारण समिति का पुनर्गठन।**

उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और प्रभावी कार्यप्रणाली के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम/ विनियमों, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, विश्वविद्यालय ने छात्रों की शैक्षणिक मामलों, अनुचित प्रथाओं, उत्पीड़न, भेदभाव, पीड़ित किए जाने, प्रशासनिक मुद्दों और उनसे जुड़े मामलों से संबंधित शिकायतों के समय पर निवारण के लिए 'छात्र शिकायत निवारण समिति' का गठन किया है।

इसके अतिरिक्त, समिति के कामकाज को सुदृढ़ करने और शिकायत निवारण गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से, समिति की संरचना में कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं। यह प्रस्तावित पुनर्गठन उपर्युक्त UGC अधिसूचना में निहित प्रावधानों के अनुरूप है, जो एक प्रभावी, पारदर्शी और छात्रकेंद्रित - शिकायत निवारण पद्धति को वरिष्ठ संकाय सदस्यों, छात्र कल्याण अधिष्ठाता (Dean Student Welfare), संकाय प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाता है। सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर वर्ष 2026-27 के लिये छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का संघटन विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं .	श्रेणी एवं जिम्मेदारी के आधार पर	सदस्य
01.	विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफ़ेसर: अध्यक्ष	डॉ. साध्वी देवप्रिया जी संकायाध्यक्ष कुलानुशासिका एवं प्राचार्य
02.	संकायाध्यक्ष - सदस्य	डॉ.गणेश अय्यर जी .एस .एन . संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य.एस .एन .वाई .एफ ,
03.	संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण सदस्य	डॉ .साँवर सिंह यादव
04.	संकायाध्यक्ष/ प्रिंसिपल	डॉ .ए. के. सिंह
05.	विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसरसदस्य :	डॉ .ऋत्तिक सहाय बिसारिया
06.	संकायसदस्य सदस्य	डॉ .नागराज होसमनि
07.	सदस्य सचिव	पूज्य स्वामी आर्षदेव जी
08.	विशेष आमंत्रित	डॉ. भागीरथी

समिति की शेष संरचना और संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference) अपरिवर्तित रहेंगी। पुनर्गठित समिति UGC अधिसूचना अधिनियम/ विनियमों, के अनुसार कार्य करना जारी रखेगी और छात्रों की शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निवारण करेगी। समिति का कार्यकाल, शक्तियाँ, कर्तव्य और उत्तरदायित्व संबंधित UGC विनियमों और विश्वविद्यालय के प्रावधानों के तहत निर्धारित अनुसार ही रहेंगे। छात्र शिकायत निवारण समिति के शेष सदस्य और संरचना अपरिवर्तित रहेंगे।


विश्वविद्यालय द्वारा पहले से नियुक्त लोकपाल (Ombudsperson) भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य करना जारी रखेंगे।

### लोकपाल

नाम	पदनाम	संपर्क संख्या	ईमेल आईडी
प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री	लोकपाल	9410192541	dineshcshastri@gmail.com

उपर्युक्त के आलोक में, ऊपर प्रस्तावित अनुसार छात्र शिकायत निवारण समिति के पुनर्गठन हेतु माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन का अनुरोध किया जाता है।

यह मामला माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से वितरित किया जा रहा है।

  
डॉ. उ. के. सक्सेना  
कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय

### संलग्नक:

#### प्रतिलिपि:

- छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के सभी सदस्य – सूचनार्थ एवं वर्ष 2026-27 के लिये नियमावली बनाने हेतु
- सभी संकायाध्यक्ष – सूचनार्थ एवं संकायसदस्यों में वितरण हेतु
- सभी सूचना पट्ट – छात्रों के सूचनार्थ